

बजट आवंटन शादी अनुदान योजना – 2017-18

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, मथुरा, इलाहाबाद, कौशाम्बी,
प्रतापगढ़, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद,
फैजाबाद, अम्बेदकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया,
कुशीनगर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, लखनऊ, हरदोई,
लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध
नगर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बरेली, बदायूँ,
पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, सम्भल, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, वाराणसी, चन्दौली,
गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, संतरविदासनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर,
गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच एवम् श्रावस्ती (75 जनपद)।

पत्रांक/001-Marrige of Daughters / 2373 / पी0व0क0 / शादीअनुदान / 2017-18 दिनांक: 30 जनवरी, 2018

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या 79 के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजना के लिये प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि का आबंटन।

महोदय,

शासनादेश संख्या – 04/2018/118/64-2-2018-1(15)/2017 दिनांक 23 जनवरी 2018 के सन्दर्भ में अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या- 79 के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राप्त प्राविधानित धनराशि रू0 1,54,00,00,000.00 (रूपया एक अरब चौवन करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0 63,12,20,000.00 (रू0 तिरसठ करोड़ बारह लाख बीस हजार मात्र) का आवंटन व्यय हेतु संदर्भित शासनादेश में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार आपको किया जा रहा है:-

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी 2017 द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं आदेशों तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा।
2. लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली सहायता उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन एवम् असहाय व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी (वित्तीय सहायता) नियमावली, 2007, शासनादेश संख्या- 7/2016/106/64-2-2016-1(66)/2006 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 एवं शासनादेश संख्या-21/2016/396/64-2-2016-1(66)/2006 दिनांक 18 जुलाई, 2016 के प्राविधानों तथा समय-समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रश्नगत प्राविधानों से विचन अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।
3. स्वीकृति की जाने वाली धनराशि का कोषागार से आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।
4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य

पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-800-अन्य व्यय-04-पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

5. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सम्पूर्ण, मुख्य, उपमुख्य, लघु तथा विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाय, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।

6. शादी अनुदान की स्वीकृति के पश्चात् सम्बन्धित मामलों में सम्बन्धित लाभार्थियों को नियमानुसार देय आर्थिक सहायता की धनराशि का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से सर्वर पर डाटा अपलोड करने एवं तदोपरान्त रिस्पान्स प्राप्त होने पर तत्सम्बन्ध में पूर्व से प्रचलित व्यवस्थानुसार ई-पेमेन्ट के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों के माध्यम से की जायेगी।

7. सम्बन्धित जनपद के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि इस योजना के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली धनराशि का प्रत्येक माह सत्यापन कर तद्विषयक रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से प्रमाणित करा कर निदेशालय को प्राप्त करायेगे।

8. बजट मैनुअल में निहित निर्देशों के अनुपालन में विभागीय आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा आबंटन के सापेक्ष कोषागार से आहरित धनराशि के सम्बन्ध में वाउचर संख्या तिथि तथा आहरित धनराशि का विवरण अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-8 पर भेजना सुनिश्चित किया जाय। अनुपालन न करने की दशा में इसे अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।

9. स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में वित्तीय वर्ष 2017-18 में किन्हीं नई मदों के उपयोग हेतु नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशेष धनराशि का समर्पण ससमय विभाग को करना अनिवार्य होगा।

10. उक्त से संबन्धित व्यय विवरण निदेशालय को नियमानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा। प्रमाणित किया जाता है कि यह आबंटन निदेशालय आबंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 24 से 28 पर अंकित है।

संलग्नक : यथोक्त।


(सुषमा रानी)
वित्त नियंत्रक।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)
निदेशक।

पृ0सं0: 2373 001-Marrige of Daughters / पि0व0क0 / शादी अनुदान / 2017-18 -तददिनांक
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 6- सम्बन्धित योजना पटल, मुख्यालय।


(सुषमा रानी)
वित्त नियंत्रक।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2017-2018
आवंटन दिनांक-30/01/2018

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:- 002-MARRIAGE OF DAUGHTERS
अनुदान संख्या:- 79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण(आयोजनेतर-मतदेय)
03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण
800 - अन्य व्यय
04 - पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	सहारनपुर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	14800000 14800000	14800000 14800000
2	मुज़फ्फर नगर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3840000 3840000	3840000 3840000
3	मेरठ-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3760000 3760000	3760000 3760000
4	बुलन्दशहर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6080000 6080000	6080000 6080000
5	अलीगढ़-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5860000 5860000	5860000 5860000
6	मथुरा-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5020000 5020000	5020000 5020000
7	आगरा-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1200000 1200000	1200000 1200000
8	मैनपुरी-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	13160000 13160000	13160000 13160000
9	एटा-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10500000 10500000	10500000 10500000
10	बरेली-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5640000 5640000	5640000 5640000
11	बिजनौर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5680000 5680000	5680000 5680000
12	बदायूं-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	22360000 22360000	22360000 22360000
13	मुरादाबाद-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5640000 5640000	5640000 5640000

